Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी जोगेन्द्र को हुई 02 वर्ष के कारावास व 5,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त जोगेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरूद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 439/2001 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 20.07.2024 को मा0 न्यायालय जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त जोगेन्द्र को दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कारावास व 5,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर चोरी का प्रयास करने के आरोपी अमजद को हुई 05 माह 15 दिन के कारावास व 3,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि वर्ष-2001 में अभियुक्त अमजद पुत्र शौकत निवासी मौहल्ला मुगलपुरा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा चोरी का प्रयास करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके विरूद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0- 384/2001 धारा 380/457/511 भादवि पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 20.07.2024 को मा0 न्यायालय सीनियर डिजीवन एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अमजद को दोषी पाते हुए 05 माह 15 दिन के कारावास व 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है। बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police baghpatpolice @baghpatpolice

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 20.07.2024**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 620/24 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की गई प्याज के 04 बोरे व प्याज बेचकर प्राप्त 15,200 रुपये नगद बरामद।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 18.07.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी मोहिन्द्र पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम मंवीकला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात गाडी चालक बुलेरो पिकअप नं0 HR-56B-2314 द्वारा उसके खेत में रखी हुई करीब 60 कुन्टल प्याज को चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 0620/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 0620/2024 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की गई प्याज के 04 बोरे व प्याज बेचकर प्राप्त 15,200 रुपये नगद बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राम सिंह पुत्र मोती निवासी सुनहरी चौक सियईया जनपद रोहतक हरियाणा।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की गई प्याज के 04 बोरे।
- प्याज बेचकर प्राप्त 15,200/- रुपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत।
2-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत।
3-है0का0 202 नरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत।
4-का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत।
5-का0 60 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी **दिनाँक 20.07.2024**

ऑपरेशन स्माइल के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 111/24 धारा 87 बीएनएस से सम्बन्धित अपहर्ता को किया सकुशल बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 111/24 धारा 87 बीएनएस से सम्बन्धित अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 श्री शैलेन्द्र मुरारी दीक्षित थाना बालैनी।

2-उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना बालैनी।

3-म0का0 1092 करिश्मा थाना बालैनी।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली **दिनाँक 20.07.2024**

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 152/24 धारा 380 भादवि व मु0अ0सं0 177/24 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशादेही से चोरी किए हुए 03 सिलेण्डर, 01 कढाई, 01 परात व अन्य बर्तन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण -

1-दिनांक 21.06.2024 को थाना छपरौली पर वादिया ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा प्राथमिक विद्यालय से 01 सिलेन्डर व अन्य बर्तन आदि चोरी कर लिये हैं। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 152/24 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया।

2-दिनांक 17.07.2024 को थाना छपरौली पर वादी श्री राजीव कुमार पुत्र जयभगवान निवासी ग्राम बाछौड थाना छपरौली ने सूचना दी कि दिनांक 13.07.2024 को उसके बंद पडे मकान से अज्ञात अभियुक्तों द्वारा 02 सिलेन्डर व 01 परात एवं अन्य बर्तन आदि चोरी कर लिये गए। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 177/24 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 152/24 धारा 380 भादवि व मु0अ0सं0 177/24 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशादेही से चोरी किए हुए 03 सिलेण्डर, 01 कढाई ,01 परात व अन्य बर्तन आदि बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

- 03 सिलेन्डर।
- 01 परात।
- 01 कढाई एवं अन्य बर्तन आदि।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-नदीम पुत्र निसार निवासी मौहल्ला खेल कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।
2-फारूख पुत्र शकील निवासी कस्बा कैराना थाना कांधला जनपद शामली।
3-सैयान पुत्र साबिर निवासी मौहल्ला खैल कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री रामअवतार सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।
3-है0का0 526 मनीष थाना छपरौली जनपद बागपत।
4-का0 633 जहांगीर थाना छपरौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना रमाला **दिनाँक 20.07.2024**

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 185/24 धारा 333/351(2)/352/109 बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 फरसा बरामद।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 20.07.2024 को थाना रमाला पर वादी साजिद पुत्र सहिद निवासी ग्राम किशनपुर थाना रमाला जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त नीरज पुत्र धीरसिंह निवासी ग्राम किशनपुर थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा उसके घर में घुसकर उस पर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से वार किया गया व गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। वादी व उसके परिजनों द्वारा अभियुक्त को मौके से ही पकडकर थाने लाया गया। थाना रमाला पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 फरसा बरामद हुआ है तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 185/24 धारा 333/351(2)/352/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नीरज पुत्र धीरसिंह निवासी ग्राम किशनपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- **घटना में प्रयुक्त 01 फरसा ।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- का0 924 विशाल वासुदेव थाना रमाला जनपद बागपत ।

2- का0 1061 अनुराग यादव थाना रमाला जनपद बागपत ।

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर   दिनाँक 20.07.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

सतवीर पुत्र महावीर निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री जगवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-का0 160 अंकुल सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।